राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान

dirminority@gmail.com दूरभाष न.: 0141-2711938, 2711978

क्रमांकः–एफ 1 (8)/असमावि/आवा. विद्या/प्रवेश/2021/ 3206 दिनांकः– 7/6/22

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विज्ञप्ति के प्रकाशन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात, जयपुर द्वारा राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के प्रवेश हेतु विज्ञप्ति संलग्नानुसार प्रकाशित करवाई जानी है। कृपया संलग्न विज्ञप्ति (09 प्रतियां) आपके विभाग की अनुमोदित दरों के आधार पर न्यूनतम स्पेस में राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र **दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका** के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराकर देय राशि का बिल तीन प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार 09 प्रतियां।

भवदीय

6.6.2022

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ 1 (8)/असमावि/आवा. विद्या/प्रवेश/2021/ 3207-15 दिनांकः– 7/6/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
6. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
7. सहायक निदेशक, द्वितीय (विज्ञापन शाखा), कार्यालय हाजा।
8. सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

6/6/2022

(मंजू)
अतिरिक्त निदेशक

Destop/Sharfuddin Sir Foldar Ad-I/Aveaasic Vidhylaya/Letter/38

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

–प्रवेश विज्ञप्ति–

(राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ)

शैक्षणिक सत्र 2022–23 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन बौद्ध एवं पारसी) के बालक–बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करा कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये निम्न "राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय" इसी सत्र 2022–23 से प्रारंभ किये जा रहे है।

क्र.सं.	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम	श्रेणी	प्रवेश क्षमता	जिले की ईमेल आई डी
1	2	3	4	5
1	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, भणियाना ब्लॉक सांकड़ा, जैसलमेर,	बालक	100	jaslmr.mino@gmail.com
2	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रामगढ़, अलवर,	बालक	100	alwr.mino@gmail.com
3	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, उदयपुर	बालिका	100	udpr.mino@gmail.com
4	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सीकर,	बालिका	100	sikr.mino@gmail.com
5	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, चौहटन, बाड़मेर,	बालिका	100	brmr.mino@gmail.com
6	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कन्चननेर, ब्लॉक पहाड़ी, भरतपुर	बालिका	100	bhrtpr.mino@gmail.com
7	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नगदेश, ब्लॉक कामां, भरतपुर	बालिका	100	bhrtpr.mino@gmail.com
8	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मसुदा, अजमेर	बालक	100	ajmr.mino@gmail.com
9	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, चूरू	बालक	120	dmwo.churu@gmail.com
10	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नागौर	बालक	120	dmwonagaur@gmail.com
11	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, फतेहपुर सीकर	बालक	120	sikr.mino@gmail.com
12	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, तिजारा अलवर	बालिका	120	alwr.mino@gmail.com
13	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, घडसाना, श्रीगंगानगर	बालक	120	srgngr.mino@gamil.com
14	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सवाई माधोपुर	बालक	120	smdpr.mino@gmail.com
15	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कुछड़ी (सम) जैसलमेर	बालक	120	jaslmr.mino@gmail.com
16	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अभे का पार, बाड़मेर	बालिका	120	brmr.mino@gmail.com

इन आवासीय विद्यालयों में इस वर्ष इसी शिक्षा सत्र से कक्षा 06, 07, 08 में बालक–बालिकाओं के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र http://minority.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर संबंधित जिले की कॉलम संख्या 5 में अंकित मेल आई डी पर अपलोड कर मय आवश्यक दस्तावेज के भेज सकते है या संबंधित जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में डाक द्वारा एवं व्यक्तिशः भी जमा कराये जा सकते है।

आवेदन हेतु अंतिम तिथि 30.06.2022 है।

प्रवेश हेतु पात्रता :– 1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. अल्पसंख्यक समुदायों के (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बालक–बालिका, जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख रूपयें से कम हो, या जिनके माता–पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे–मेट्रिक्स का लेवल–11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो।

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज :– 1. मूल निवास प्रमाण पत्र, 2.गत परीक्षा की अंक तालिका, 3. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, 4. श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र (विधवा, परित्यक्ता, बीपीएल, विकलांग, अनाथ आदि), 5. आय प्रमाण पत्र, 6. आधार कार्ड/जन आधार कार्ड।

आवेदन की प्रक्रिया :– 1. पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र की प्रति एवं उक्त आवश्यक दस्तावेजो की स्वयं प्रमाणित स्कैन्ड प्रति संलग्न करनी होगी। 2. मूल आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित तिथि **30.06.2022** तक संबंधित जिले की कॉलम संख्या 5 में अंकित ई–मेल आई.डी. पर अपलोड कर भेज सकते है अथवा डाक द्वारा संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में पोस्ट करना होगा अथवा व्यक्तिगत जमा कराना होगा। अन्य विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों में नामांकित एवं अध्ययनरत एवं ड्रॉपआउट हो चुके बालक–बालिकाओं को कक्षा 06, 07, 08 में "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। आवश्यकता होने पर लॉटरी निकाली जायेगी।

सुविधायें :–1. प्रवेशित बालक–बालिकाओं को पूर्णतया निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जायेगी। 2. बेहतर एवं सुरक्षित आवास सुविधा, पौष्टिक भोजन, शिक्षण सामग्री निजी उपयोग की वस्तुऐं यथा यूनिफार्म, जूते, तेल, साबुन, तौलिया एवं दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक सामग्री स्टाइपेन्ड, चिकित्सा सुविधा, कौशल प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।

आवासीय विद्यालय, प्रवेश व आवेदन करने संबंधी विस्तृत विवरण आदि के क्रम में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट http://minority.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

जमील अहमद कुरैशी
(निदेशक)

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु
आवेदन पत्र सत्र 2022–23

प्रवेश दिनांक	

प्रवेशांक	

1 विद्यार्थी का नाम....

5 जन्म तिथि ..../.........../.............

5 पिता/अभिभावक का नाम...

4 माता का नाम..

5 पिता का व्यवसाय......................................

6 अल्पसंख्यक समुदाय ☐ मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ ईसाई ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ पारसी

7 पूर्ण पता (वर्तमान)☐..........................☐..........................☐..

.... ग्राम/शहर...

तहसील.................................... जिला............................ राज्य.............................. पिन कोड...

8 पूर्ण पता (स्थाई)...

.... ग्राम/शहर...

तहसील.................................... जिला............................ राज्य.............................. पिन कोड...

9 लिंग महिला F पुरूष M अन्य TR

10 कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये..

11 प्रवेश का प्रकार ☐ अन्य विद्यालय से ☐ ड्रॉपआउट ☐ पंजीकृत मदरसे से

12 तृतीय भाषा ☐ उर्दू ☐ संस्कृत ☐ अन्य

13 पूर्व विद्यालय का नाम जहॉ विद्यार्थी अध्ययनरत रहा है ....

14 पूर्व विद्यालय की अन्तिम कक्षा ....

15 अंतिम कक्षा का परिणाम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अध्ययनरत श्रेणी प्रतिशत

16 क्या विद्यार्थी विद्यालय में कार्यरत कार्मिक की संतान है हॉ नहीं

17 बी.पी.एल. की स्थिति ☐ हां ☐ नहीं

अगर हां तो बी.पी.एल. प्रमाण पत्र क्रमांक.. व दिनांक ..../......../...........

18 विद्यार्थी का आधार नंबर (12 अंक) ....

19 परिवार जनाधार नम्बर...

20 उस बैंक का नाम जिसमे विद्यार्थी का खाता है..

21 बैंक खाता संख्या.. 20 बैंक IFSC कोड...

22 विशेष श्रेणी (जो लागू है उस पर टिक करे)

	हां	नहीं
विधवा	☐	☐
परित्यक्ता	☐	☐
अनाथ	☐	☐
विकलांग	☐	☐
बीपीएल	☐	☐
असाध्य रोग से पीडित परिवार	☐	☐

23 मूल निवास राज्य का नाम... 28 राजस्थान में कितने वर्षो से रह रहा है..............................

24 खेल में प्रमाण पत्र राष्ट्रीय राज्य जिला

25 परिवारजन के मोबाइल/टेलीफोन नंबर 1..................................... 2.. 3............................

26 संपर्क हेतु ईमेल आईडी ....

27 निम्न विवरण अंकित करे –

क्र.स.	संबंध	आधार नम्बर	उच्चतम योग्यता	व्यवसाय	पैन नम्बर	वार्षिक आय	आयकर देते है (हां/नहीं)
1	पिता						
2	संरक्षक						
3	माता						

28 आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र

1 मूल निवास 2 अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र 4 जाति प्रमाण पत्र
5 जन्म प्रमाण पत्र/शपथ पत्र 6 स्थानान्तरण प्रमाण पत्र 7 पूर्व कक्षा की अंकतालिका 8 आधार कार्ड
9 जनाधार कार्ड 10 विकलांगता प्रमाण पत्र 11 बी.पी.एल. प्रमाण पत्र 12 विधवा/परित्यक्ता प्रमाण पत्र
13 अनाथ (माता/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र)

घोषणा प्रमाण–पत्र

मै ....पिता/माता/संरक्षक .... निवासी.......................... आयु............. घोषणा करता/करती हूं कि प्रवेश पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं सही है। मै यह विश्वास दिलाता/दिलाती हूं कि उक्त छात्र–छात्रा नियमित रूप से विद्यालय में आवासीय रूप से रहकर अध्ययन करेगा/करेगी और विद्यालयों के समस्त नियमों व अनुशासन संबंधित निर्देशों का पालन करेगा/ करेगी। मैं अपने पुत्र/पुत्री .... जन्म तिथि.................... जिसे कक्षा .... में प्रवेश दिलवाना चाहता हूं, का विवाह बालिग होने से पूर्व नहीं करूंगा/करूंगी एवं बाल विवाह, रोकथाम अधिनियम 1929 की पालना करूंगा/करूंगी और इन सब के लिये प्रतिबद्ध रहूंगा/रहूंगी। मैं आवसीय विद्यालय के संचालन के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने पुत्र/पुत्री को आवासीय रूप से अध्ययन करवाने हेतु सहमत हूं।

दिनांक :

ह. पिता/माता/संरक्षक

आय प्रमाण पत्र (राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती....................... छात्र/छात्रा .... के पिता/माता/संरक्षक है, और मेरे अधीन .... पद पर कार्यरत है। इनकी कुल वार्षिक आय..................रू है। ये आयकर देते है/नहीं देते है। यह वर्तमान में पे–मैट्रिक लेवल......... पर कार्यरत है। (वेतन प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

दिनांक :

ह. विभागीय अधिकारी (मय पद मोहर)

प्रवेश समिति की टिप्पणी

छात्र–छात्रा.. कक्षा.................में प्रवेश के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच प्रवेश कमेटी द्वारा कर ली गई है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर योग्य/अयोग्य पाया गया है तथा उक्त छात्र–छात्रा को कक्षा...... .... में प्रवेश की स्वीकृति/सस्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

हस्ताक्षर सचिव

नवीन प्रवेश पत्र संबंधित दिशा–निर्देश

1. बिन्दु संख्या–2 में जन्म तिथि भरते समय विद्यार्थी/अभिभावक यह सुनिश्चित कर लेवे की सीनान्तरण प्रमाण पत्र अंकतालिका और विद्यार्थी के आधार कार्ड व जन आधार में एक समान जन्म तिथि अंकित है।
2. बिन्दु सं. 16 नवीन विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व विद्यार्थी अपना आधार कार्ड अवश्य बनवा लेवे। यदि विद्यार्थी ने आवेदन कार्ड के लियें आवेदन कर रखा है तो रसीद की कॉपी प्रवेश पत्र के साथ जरूर लगावें।
3. बिन्दु सं. 17 विद्यार्थी/अभिभावक परिवार जनाधार कार्ड नम्बर यहां भरे। अभिभावक अपने बच्चें/बच्चों का नवीन विद्यालय में प्रवेशित कराने से पूर्व परिवार जनाधार कार्ड अवश्य बनवा लेंवे।
4. बिन्दु सं. 18 और 19 उस बैक का नाम जिसमें विद्यार्थी का खाता है तथा खाता संख्या भरें। बिन्दु सं. 20 जिस बैंक में विद्यार्थी का खाता है उस बैक का IFSC कोड यहां भरे। प्रवेश लेने वाले सभी के विद्यार्थी नवीन विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व नजदीकी बैक में अपना खाता जरूर खुलवायें ताकि प्रावधानानुसार राशि उसके बैक खाते में ट्रान्सफर की जा सके।
5. विद्यार्थी/अभिभावक प्रवेश पत्र के सभी आवश्यक बिन्दुओं की पूर्ति कर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर ही आवेदन पत्र जमा करवायें।

आवेदन पत्र प्राप्त/जमा कराने की प्रक्रिया–

1. विद्यार्थी/अभिभावक प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट **http://minority.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है अथवा व्यक्तिशः संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (अजमेर, अलवर, बाडमेर, भरतपुर, चूरू, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर) कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है।
2. विद्यार्थी/अभिभावक प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की निम्न ई–मेल आई डी पर भरकर भेज सकते है या संबंधित जिला कार्यालय में व्यक्तिशः आवेदन पत्र जमा करा सकते है अथवा संबंधित कार्यालय में डाक द्वारा भी भेज सकते है।

क्र.सं.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय	ई–मेल आई डी
1	अजमेर	ajmr.mino@gmail.com
2	अलवर	alwr.mino@gmail.com
3	बाडमेर	brmr.mino@gmail.com
4	भरतपुर	bhrtpr.mino@gmail.com
5	जैसलमेर	jaslmr.mino@gmail.com
6	सीकर	sikr.mino@gmail.com
7	उदयपुर	udpr.mino@gmail.com
8	चूरू	dmwo.churu@gmail.com
9	श्रीगंगानगर	srgngr.mino@gmail.com
10	सवाई माधोपुर	smdpr.mino@gmail.com
11	नागौर	dmwonagaur@gmail.com